अध्याय VIII : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल

8.1 निधियों का अवरोधन तथा उपकरण का अनुपयोग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अवसंरचना की तैयारी को सुनिश्चित किए बिना आगे बढ़ा तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली में आपातकालीन देखभाल केन्द्र हेतु ₹15.93 करोड़ की कीमत के विभिन्न चिकित्सा उपकरण का प्रापण किया। इनमें से ₹2.40 करोड़ की कीमत वाले दो उपकरण को दिसम्बर 2015 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका था।

सामान्य वित्तीय नियमावली[1] (जी.एफ.आर.) अनुबंध करती है कि लोक हित में माल/सेवाओं का प्रापण करने की वित्तीय शक्तियों से प्रत्यायुक्त प्रत्येक प्राधिकरण लोक प्रापण से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययता तथा पारदर्शिता लाने का उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही होगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मंत्रालय) ने डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ओर से आपातकालीन देखभाल बिल्डिंग के निर्माण हेतु मैसर्स होसमैक प्रोजेक्ट्स के साथ एक संविदा की (मई 2010)। निर्माण कार्य को अक्तूबर 2010 तक समाप्त किया जाना निर्धारित था तथा उसे राष्ट्रमंडल खेल के खिलाड़ियों हेतु आपातकालीन चिकित्सा देखभाल सुविधाओं तथा वर्तमान दिन की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला जाना प्रत्याशित था। निर्माण कार्य को अवसंरचनात्मक डिजाईनों में परिवर्तन, ठेकेदारों द्वारा डिजाईनों के प्रस्तुतीकरण तथा अंतिम रूप देने में विलम्ब आदि जैसे विभिन्न कारणों के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण नहीं किया जा सका था।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (इस कार्य हेतु मंत्रालय द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता) ने मंत्रालय को निर्माण कार्य की धीमी गति के संबंध में अवगत किया (अगस्त 2011)। निर्माण कार्य की स्थिति से अवगत होने के बावजूद मंत्रालय के प्रापण कक्ष ने अस्पताल में आपातकालीन देखभाल केन्द्र हेतु विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु 24 फर्मों को

[1] जी.एफ.आर. का नियम 137 तथा 160

दिसम्बर 2011 में अधिनिर्णय अधिसूचना (एन.ओ.ए.) जारी की। अस्पताल ने बाद में 22 मदों की आपूर्ति हेतु संबंधित फर्मों को आपूर्ति आदेश जारी किए (मार्च 2012 तथा जून 2012) यह उपकरण अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 के दौरान प्राप्त किए गए थे। दो मदों[2] के संबंध में साख पत्र फरवरी/मार्च 2013 में खोले/स्थापित किए गए थे तथा यह मदें जुलाई 2013 तथा सितम्बर 2013 के बीच प्राप्त किए गए थे। उपकरण प्रापण का कुल मूल्य ₹15.93 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने प्रापण किए गए चिकित्सा उपकरणों के उपयोग में निम्नलिखित विसंगतियॉ पाई थीं:-

क्र.सं.	विसंगति की प्रकृति	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	उपकरणों का अन्य विभागों/स्कंधों को जारी किया जाना	5.66
2.	अन्य विभागों/स्कंधों को अस्थायी आधार पर जारी सात प्रकार के उपकरणों की वारंटी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी	1.22
3.	दो उपकरण[3] दिसम्बर 2015 तक भण्डार में बिना स्थापित किए पड़े थे।	2.40

इस प्रकार, उपकरण को स्थापित करने हेतु अवसंरचना की तैयारी को सुनिश्चित करने में विफलता 20 महीनों से 36 महीनों के बीच की अवधि तक दो उपकरण के अनुपयोग का कारण बनी। यहॉ तक कि जहां उपकरणों का उपयोग किया गया था वहां इनका विपथन किया गया था तथा इनका आपातकालीन देखभाल के प्रत्याशित उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अन्य विभागों/स्कंधों को अस्थायी आधार पर जारी सात प्रकार के उपकरणों की वारंटी अवधि एन.ई.सी.सी. में उपयोग किए बिना ही पहले ही समाप्त हो चुकी थी। मरीज इन उपकरणों के माध्यम से प्रत्याशित अच्छी देखभाल सुविधाओं से वंचित थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2015) कि उपकरणों को एन.ई.सी.सी. के निर्माण में विलम्ब के कारण समय पर स्थापित नहीं किया जा सका था। उसने आगे बताया कि भण्डारों में पड़े के साथ-साथ अन्य विभागों को विपथन किए गए उपकरण को एन.ई.सी.सी. जब पूर्णत:

---

[2] आई.सी.यू. बैड उन्नत मॉडल (सं. 39) तथा ई.सी.जी. मॉनीटर सहित डिफैब्रीलेटर (सं. 10)

[3] ए.नवजात के लिए सं. सहायक उपकरणों सहित खुली देखभाल प्रणाली (18 न. ₹1.66 करोड़) बी पूर्ण देखभाल प्रणाली (01 इकाई केन्द्रीय स्टेशन का एवं 18 मॉनीटर ₹74.21 लाख)

क्रियात्मक हो जाएगा तो उसको पुन: स्थापित किया जाएगा। उत्तर स्थापित करता है कि अस्पताल ने प्रापण प्रक्रिया को निर्माण कार्य के साथ इसका मिलान किए बिना किया गया था तथा इसलिए उपकरण को प्रत्याशित उपयोग में नहीं लाया जा सका था।

सफदरजंग अस्पताल

8.2 सेवा प्रभारों का अधिक भुगतान

सफदरजंग अस्पताल द्वारा संपति कर पर सेवा प्रभारों के गणना के लिए 'उपयोग कारक' के गलत निर्धारण के फलस्वरूप नई दिल्ली नगर निगम को ₹4.60 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) (वार्षिक किराये का निर्धारण), उप-नियमों, 2009 जो कि 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी है, प्रत्येक संपत्ति मालिक से अपेक्षा करता है कि संपत्ति कर के भुगतान के लिए अपने संपत्ति का स्व-मूल्यांकन करें। शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) ने दिसंबर 2009 में निर्देशित किया कि भारत संघ एवं इसके विभाग नगर निगम द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए सेवा प्रभारों का भुगतान करेंगे। भारत संघ को किसी संपत्ति कर का भुगतान नही किया जाएगा लेकिन सेवा प्रभारों की गणना लगाये गए संपत्ति कर के 75 प्रतिशत 50 प्रतिशत या 331/3 प्रतिशत की दर से की जाएगी जिसका भुगतान संपत्ति मालिक द्वारा किया जाएगा, जो कि सेवाओं के पूर्ण, आंशिक या शून्य उपयोग पर निर्भर होगा।

इसके अतिरिक्त एनडीएमसी वार्षिक किराया उप-नियम, 2009[4] के उप-नियम 3 के अनुसार भूमि के लिए 'उपयोग कारक' को संपत्ति कर की गणना के उद्देश्य से ध्यान मे रखा जाएगा। उपयोग की गई भूमि के लिए 'उपयोग कारक' की गणना निम्न प्रकार से की गई थी:

उपयोग	कारक
आवासीय, सार्वजनिक उद्देश्य, विघालय, कॉलेज, हास्टल एवं अस्पताल	1
सार्वजनिक उपयोगिता, सरकारी कार्यालय एवं दूतावास	2

[4] स्व-मूल्यांकन संपत्ति कर फार्म सं. 1 के अनुसार

सफदरजंग अस्पताल से संबंधित अभिलेखों के नमूना जांच ने प्रकट किया कि इसने 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान स्व-मूल्यांकन के आधार पर, ओपीडी-III के दायें तथा बायें विंग के संबंध में सेवा प्रभारों का भुगतान किया था। सेवा प्रभारों की गणना के दौरान, उसने अस्पताल भूमि के लिए प्रयोज्य कारक 1 की जगह 2 को उपयोग कारक के रूप में अपनाया। इस प्रकार, 'उपयोग कारक' के गलत अंगीकरण के परिणामस्वरूप 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान एनडीएमसी को ₹4.60 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, अस्पताल ने इस मामले को एनडीएमसी के साथ (जून 2013 से फरवरी 2015) उठाया जिसने ₹4.60 करोड़ के अधिक भुगतान को स्वीकार (मार्च 2015) किया तथा कहा कि वह इसे भविष्य की मांगों से समायोजित करेगा। मंत्रालय ने (जनवरी 2016) अस्पताल के उत्तर (दिसंबर 2015) को पृष्ठांकित किया जिसमे स्थिति को दोहराया गया। मंत्रालय विभिन्न परिसरों के सेवा प्रभारों के भुगतान के लिए सही दर के उपयोग के संबंध में उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करे।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता

8.3 वजीफे का अधिक भुगतान

संस्थान ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) अधिनियम में पाठ्यक्रम निर्धारित होने को सुनिश्चित किए बिना दो पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम नामत: औद्योगिक स्वास्थ्य मे डिप्लोमा (डी.आई.एच.) और मातृत्व और बाल कल्याण के क्षेत्र में डिप्लोमा (डी एम सी डब्ल्यू) के विद्यार्थियों को उच्चतम दर पर वजीफा भुगतान करने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप जून 2005 से जुलाई 2014 तक की अवधि में ₹3.63 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (संस्थान) जन स्वास्थ्य और संबंध विज्ञान के विविध विषयों के शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए समर्पित है। संस्थान विभिन्न डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम का संचालन पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (डब्ल्यू.बी.यू.एच.एस.) के साथ संबंधता में करता है संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट (पी.जी.) मेडिकल छात्र सहित सभी छात्रों को एक समान ₹800 प्रति माह की दर से वजीफा मिलता था।

पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अधिनियम, 2000 (अधिनियम) के पैरा 13.3 के अनुसार किसी संस्थान के पी.जी. छात्रों का पारिश्रमिक उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित सरकारी चिकित्सा संस्थान के पी.जी. छात्रों के समान मिलेगा। चूँकि पश्चिम बंगाल के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के पी.जी. छात्रों को वजीफा क्रमश: ₹6340, ₹6840 और ₹7340 प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए मिलता है, संस्थान ने स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मंत्रालय) को एम.सी.आई. अधिनियम उल्लिखित वजीफा समानता के लिए प्रस्ताव भेजा (जून 2004)। मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने (जून 2005) पर संस्था ने पी.जी. छात्रों के वजीफा को ₹800 से बढ़ाकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए क्रमश: ₹6340, ₹6840 और ₹7340 कर दिया आगे संस्थान ने समय-समय पर अपने पी.जी. छात्रों हेतु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा अनुमत वजीफा के अनुरूप में वृद्धि किया।

संस्थान ने मई 2011 में एम.सी.आई. से अपने चार पी.जी. मेडिकल पाठ्यक्रमों[5] की प्रवेश संख्या में वृद्धि को सुगम बनाने के लिए निरीक्षण का प्रस्ताप भेजा। लेकिन एम.सी.आई. ने सितम्बर 2012 में दो पी.जी. पाठ्यक्रम नामत: डी.आई.एच.[6] तथा डी.एम.सी.डब्ल्यू.[7] का इस आधार पर निरीक्षण करने से इंकार कर दिया कि ये पाठ्यक्रम एम.सी.आई. अधिनियम में निर्धारित नही थे। चूँकि पाठ्यक्रम एम.सी.आई.अधिनियम में निर्धारित नहीं थे इसलिए इन पाठ्यक्रमों के छात्र केवल ₹800 प्रतिमाह वजीफा के हकदार थे। मई 2013 में, लेखापरीक्षा ने इंगित किया था कि वजीफा का भुगतान उच्चतर दर पर किया जा रहा था। जबकि दो पाठ्यक्रम एम.सी.आई. में निर्धारित नहीं थे। फिर भी संस्थान ने उच्चत्तर दर पर वजीफा भुगतान करना जारी रखा और जून 2005 से जुलाई 2014 तक कुल ₹3.63 करोड़ अधिक वजीफा का भुगतान किया।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2016) कि डी.एम.सी.डब्ल्यू. और डी.आई.एच. पाठ्यक्रम एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है और उन्होंने एम.सी.आई. के एक आर.टी.आई. उत्तर[8] को संदर्भित किया जिसमें कहा गया है कि ये पाठ्यक्रम

---

[5] एम.डी. (समुदायिक चिकित्सा),डी.आई.एच. डी.एम.सी.डब्ल्यू और डी.पी.एच.

[6] औद्योगिकग स्वास्थ्य में डप्लोमा

[7] मातृत्य और बाल कल्याण के क्षेत्र में डिप्लोमा

[8] सूचना अधिकार कानून-2005 के अंतर्गत उत्तर दिया गया।

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उत्तर मान्य नहीं था अक्टूबर 2000 में अधिसूचित एम.सी.आई. अधिनियम में दो पाठ्यक्रम शामिल नहीं थे, जिसमें निर्धारित था कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले स्थापित डिप्लोमा पाठ्यक्रम छात्रों द्वारा उक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद बंद हो जाएंगें और इस तरह एम.सी.आई. अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये पाठ्यकम अक्टूबर 2000 के बाद वैध नहीं रह जाते। इसलिए संस्थान को वर्ष 2000 में पाठ्यक्रम प्रवेश लिए हुए छात्रों की पढ़ाई 2002[9] तक पूरा होने के बाद इन पाठयक्रमों को बंद कर देना चाहिए था। चूँकि अधिनियम के उपबंधों के अधीन वजीफा का भुगतान किया गया था, इसलिए उन पाठ्यक्रमों के लिए वजीफा नहीं दिया जाना चाहिए जो पाठ्यक्रम अधिनियम में शामिल नहीं थे।

इस प्रकार, संस्थान ने एम.सी.आई. अधिनियम में पाठ्यक्रम निर्धारित होने को सुनिश्चित किए बिना दो पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम नामत: डी.आई.एच. और डी.एम.सी.डब्ल्यू. के विद्यार्थियों को उच्चतम दर पर वजीफा भुगतान करने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप जून 2005 से जुलाई 2014 तक की अवधि में ₹3.63 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

8.4 सेवा कर के अनियमित भुगतान की वापसी की वसूली न होना

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-जोधपूर ने आउटसोर्स की गई सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान किया था जबकि यह सेवाएं ऐसे कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार ने सहायक शैक्षणिक सेवाओं के माध्यम से एक शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की गई कुछ सेवाओं को 1 जूलाई 2012 से (अधिसूचना सं.25/2012 सेवा कर दिनांक 20 जून 2012) सेवा कर छूट प्रदान की थी। अधिसूचना ने स्पष्ट किया कि छूट प्राप्त सेवाओं में अन्य बातों के साथ-साथ कोई भी ऐसी सेवाएं शामिल है जिन्हे शैक्षणिक संस्थान आमतौर पर स्वंय करते है परंतु इन्हे किसी अन्य व्यक्ति से आउटसोर्स की गई

[9] दो वर्ष के पाठ्यक्रम

सेवाओं के रूप मे प्राप्त कर सकेगा। वित्त मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि नकारात्मक सूची में प्रेवश की विशेषता से यह स्पष्ट था कि शिक्षा से संबंधित सभी सेवाएं सेवा कर से छूट प्राप्त हैं (परिपत्र सं.172/7/2013 - एस.टी. दिनांक 19 सितंबर 2013)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपूर (ससं्थान) ने श्रम शक्ति सेवाओं[10] सुरक्षा सेवाओं, परिवहन सेवाओं[11] तथा खान-पान सेवाओं[12] को आउट सोर्स किया तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान उस अवधि के दौरान प्रदत्त सेवाओं के लिए कुल ₹63.13 लाख की राशि का अनियमित सेवा कर अदा किया।

मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि शब्द "सहायक शिक्षा सेवाएं" स्पष्ट नहीं था कि क्या श्रम शक्ति आउटसोर्सिंग, सुरक्षा, खान-पान, परिवहन आदि जैसी विभिन्न सेवाएं सेवा कर देयता की सीमा से बाहर होगी या नहीं। वैधिक देयता होने से किसी के पास सेवा कर के गैर-भुगतान का कोई विकल्प नहीं है जब तक कि सेवा कर की छूट की अभिपुष्टि न हो। तथापि, वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण के पश्चात् संस्थान ने विभिन्न अभिकरणों की संस्थान को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा कर अदा करना रोक दिया।

मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नही है क्योंकि विधि/नियमावली पर केवल स्पष्टीकरण उस विधि/नियमावली को यथार्थ प्रकृति को बदल नहीं सकती। चूंकि सहायक शिक्षा सेवाओं पर सेवा कर से छूट संस्थान को जून 2012 से उपलब्ध थी इसलिए संस्थान ने सेवा कर विभाग से ₹63.13 लाख की वापसी का दावा नहीं किया है।

[10] मैसर्स इंटेलिजेंस सिक्योरिटी आफ इण्डिया

[11] मैसर्स बालाजी टूर

[12] मैसर्स किसान केटरिंग, एवं मैसर्स किसान कैटरिंग,जोधपूर

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

8.5 यात्रा भत्ते का अतिरिक्त भुगतान

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 'जी' वैज्ञानिकों को यात्रा भत्ते का गलत रूप से भुगतान किया गया था जिससे ₹58.44 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने कार्यालय ज्ञापन[13] के माध्यम से छठे वेतन आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं के आधार पर यात्रा भत्ते की दरें निर्धारित की थी (अगस्त 2008)। और इसके अनुसार ₹5400 से अधिक के ग्रेड वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों के यात्रा भत्ते की दर को ₹3200 और उस पर महंगाई भत्ता पर निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त, का.ज्ञा. के पैरा 3 के अनुसार ₹10,000 एवं ₹12,000 का ग्रेड वेतन आहरित करने तथा एच.ए.जी+वेतनमान वाले अधिकारी जोकि दिनांक 28.जनवरी.1994 के का.ज्ञा.सं. 20(5)-ई-II (ए)/93 की शर्तों में कार्यालय की गाड़ी का उपयोग करने के लिए हकदार है, उन्हें मौजूदा सुविधा का स्वयं उपयोग करने या प्रतिमाह ₹7,000 और उस पर दिए गए महंगाई भत्ते की दर पर यात्रा भत्ता आहरित करने का विकल्प दिया जाएगा। जनवरी 1994 के का.ज्ञा. अनुबंध करता है कि संयुक्त सचिव और उससे अधिक के स्तर वाले अधिकारी जिन्हें निर्धारित भुगतान आधार पर कार्यालय एवं निवास के बीच आने के लिए स्टाफ गाडी की सुविधा प्रदान की गई है, उन्हें या तो मौजूदा सुविधा का उपयोग करने या इन आदेशों के अंतर्गत स्वीकार्य यात्रा भत्ते का भुगतान लेने का विकल्प दिया जाएगा। 1994 के आदेशों ने केवल सांविधिक/स्वायत्त निकायों के मुख्य कार्यकारियों को स्टाफ की गाड़ी की सुविधा का उपयोग करने के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार के विभागों के अध्यक्ष/भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के समकक्ष माना था।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) के अभिलेखों नमूना जांच से पता चला कि ₹10,000 एवं अधिक का ग्रेड वेतन आहरित करने वाले 'जी' वैज्ञानिकों को ₹7000 प्रतिमाह समेत उस पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वायत्त निकायों के मुख्य कार्यकारी न होने

[13] का.ज्ञा. 21(2)/ 2008-ई.II (बी.) दिनांक 29 अगस्त, 2008

के कारण वैज्ञानिक स्टाफ कार सुविधा के हकदार नहीं थे और वह केवल ₹3200 (म.भ.समेत) की दर पर यात्रा भत्ते के भुगतान के ही हकदार थे। सितम्बर 2008 से जुलाई 2015 के दौरान, 'जी' वैज्ञानिकों को इन दरों पर ₹107.66 लाख तक के कुल यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया था। नियमावली के गलत अर्थ के कारण 'जी' वैज्ञानिकों को 58.44[14] लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ था।

लेखापरीक्षा में मुद्दे को उठाए जाने के पश्चात् (मई 2015), आई.सी.एम.आर. ने 1 अगस्त 2015 से वैज्ञानिकों को प्रतिमाह ₹7000 की दर पर यात्रा भत्ते का भुगतान बंद कर दिया था। आई.सी.एम.आर ने यह भी बताया (जनवरी 2016) कि उसने वैज्ञानिको को भुगतान किए गए यात्रा भत्ते के अतिरिक्त राशि वसूली की छूट हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव रखा था।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (नवम्बर 2015), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

[14] आहरित राशि- ₹107.66 लाख, बकाया राशि- ₹49.22 लाख, अतिरिक्त भुगतान- ₹58.44 लाख